## आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–29(क) के अन्तर्गत संगमों और निकायों का राजनीतिक दल के रूप में आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–29(ग) एवं निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम–85(ख) के अन्तर्गत अंशदान प्रतिवेदन प्ररूप–24(क) में दल के कोषाध्यक्ष या राजनीतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाना है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन हेतु सभी दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारर्दिशता संबंधी दिशा–निर्देशों का अनुसरण करें। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29.08.2014, पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 19.11.2014 एवं पत्रांक 505/Meeting/IT Module/PPEMS/2022 दिनांक 30.06.2023, जो सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव को संबोधित है, द्वारा दल की निधियों एवं निर्वाचन व्यय मामलों में पारदर्शिता एवं लेखांकन पर विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/ पारदर्शिता/2014 दिनांक 14.10.2014 द्वारा निदेशित किया गया है कि पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (Registered Unrecognized Political Party) अपने निर्वाचन खर्च, अंशदान रिपोर्ट और अपने लेखा–परीक्षित लेखे से संबंधित विवरण उस राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे, जिस राज्य में राजनीतिक दल का मुख्यालय अवस्थित है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा उक्त रिपोर्ट/विवरण को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तारीख निम्नवत् निर्धारित की गयी है :–

(1) अंशदान रिपोर्ट (फार्म–24क) – अंशदान रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर या आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए सी0बी0डी0टी0 द्वारा यथा–विस्तारित वैसी तारीख तक।

(2) वार्षिक लेखा–परीक्षित लेखा – प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अन्तर्गत राजनैतिक दलों की आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि से एक माह के भीतर।

(3) निर्वाचन व्यय का विवरण – विधान सभा निर्वाचन के पूरा होने के 75 दिनों और लोक सभा निर्वाचन के पूरा होने के 90 दिनों के भीतर।

संबंधित अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्राप्त लेखे एवं प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट ceobihar.nic.in पर भी संधारित है।

उक्त प्रावधानों के आलोक में आपके दल द्वारा संबंधित लेखा/प्रतिवेदन इस कार्यालय को निर्धारित अवधि के अंदर समर्पित नहीं किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

(1) वित्तीय वर्ष 2023–24–वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे
(2) वित्तीय वर्ष 2023–24–अंशदान रिपोर्ट

उपर्युक्त के आलोक में निदेशानुसार अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रावधानों के अंतर्गत यथाशीघ्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय, 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015 में जमा किया जाये।

**ज्ञापांक :** Exp-70/2024- 7103 **पटना, दिनांक :** 14 **नवम्बर, 2024 ई०।**

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के आदेश से,

सेवा में,
Aam Adhikar Morcha,
Manoj Mandal, Adarsh Nagar, Chethariya Peer,
Ward No. 15, P.O. & P.S.-Kahalgaon, District-
Bhagalpur, Bihar - 813203

(मनोज कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार